Mail किया 3:45 PM
5/7/2017

पंजीयन आवेदन पत्र

www.rajteachers.com

क्रमांक :–

दिनांक :

राजकीय प्राथमिक / उच्च प्राथमिक / माध्यमिक / उच्च माध्यमिक विद्यालय ....

....

विद्यालय का नाम –

मुख्यालय का नाम –

विकास कोष .... जिला कोटा (राजस्थान) पंचायत समिति ....

स्थान व जिले का नाम लिखे

संघ विधान – पत्र

इस समिति का नाम –

1) समिति का नाम ....

2) पंजीकृत कार्यालय एवं कार्य क्षेत्र – इस समिति का पंजीकृत कार्यालय राजकीय प्राथमिक / उच्च प्राथमिक / माध्यमिक / उच्च माध्यमिक विद्यालय ....

विद्यालय का पूरा नाम लिखे

समिति का कार्य क्षेत्र समिति के पंजीकृत कार्यालय स्थित विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों के निवास के कुल भौगोलिक क्षेत्र तक रहेगा। किन्तु विकास कार्य केवल विद्यालय परिसर एवं विद्यालय से संबंधित खेल मैदान में ही कराये जा सकेगें।

3) **समिति के उद्देश्य निम्नानुसार होगे –**

1. संबंधित विद्यालय के लिए एक विकास कोष बनाना जिससे विद्यालय के भवन उपस्कर एवं अन्य शैक्षणिक सुविधाओं से संबंधित विकास के कार्य किए जा सकेगें।
2. संबंधित विद्यालय के लिए एक परिचालन (Operational) कोष बनाना जिससे राजकीय सहायता व अन्य माध्यमो से आवश्यक परिचालन व मरम्मत व्यय वहन किया जा सके।
3. विद्यालय मे पढ रहे विद्यार्थियो के अभिभावको सामान्य जनता एंव अन्य दान दाताओ / से फीस / दान प्राप्त करना।
4. विद्यालय भवन के विस्तार एवं अन्य सुविधाओ के लिए राज्य सरकार की जन–सहभागिता आधारित योजनाओ से संस्था विकास कोष के योगदान के आधार पर विकास कार्य करवाना।
5. अन्य उद्देश्य जिससे संस्था की परि–सम्पत्तियों का बेहतर उपयोग हो सके। समिति का कार्यभार एक कार्यकारिणी समिति में निहित रहेगा जिसके प्रथम अधिकारी निम्नाकिंत है।

उक्त उद्देश्यो की पूर्ति में कोई लाभ निहित नही है।

अध्यक्ष **उपाध्यक्ष** **सचिव**

www.rajteachers.com

4) समिति का कार्यभार नियमानुसार एक कार्यकारिणी समिति को सौपा गया है। जिसके प्रथम पदाधिकारी निम्नलिखित है।

क्र.सं	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	पद
1				अध्यक्ष
2				उपाध्यक्ष
3				पदेन सचिव
4				कार्यकारिणी सदस्य
5				कार्यकारिणी सदस्य
6				कार्यकारिणी सदस्य
7				कार्यकारिणी सदस्य
8				कार्यकारिणी सदस्य
9				कार्यकारिणी सदस्य
10				कार्यकारिणी सदस्य
11				कार्यकारिणी सदस्य
12				कार्यकारिणी सदस्य
13				कार्यकारिणी सदस्य
14				कार्यकारिणी सदस्य
15				कार्यकारिणी सदस्य
16				कार्यकारिणी सदस्य
17				कार्यकारिणी सदस्य
18				कार्यकारिणी सदस्य

फोटो	फोटो	फोटो
अध्यक्ष	उपाध्यक्ष	सचिव

www.rajteachers.com

5) हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता जिनके नाम व्यवसाय पूर्ण पते निम्न प्रकार है इस संघ विधान–पत्र के अन्तर्गत इस संस्था के रूप में गठित होने व इसे राजस्थान सोसायटीज पंजीकरण अधिनियम 1958 के तहत पंजीकृत करवाने के इच्छुक है।

क्र.सं	नाम	पिता / पति का नाम	व्यवसाय	हस्ताक्षर
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				

www.rajteachers.com

38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				

हम निम्न को प्रमाणित करते है कि उक्त हस्ताक्षर कर्ताओ को हम जानते है व उन्होने हमारे समक्ष हस्ताक्षर किये है।

साक्षी जिला शिक्षा अधिकारी / अति0जि0शि0अ0 / ब्लॉक शि0अ0 / अति0 ब्लॉक शि0अ0 साक्षी

अध्यक्ष उपाध्यक्ष सचिव

www.rajteachers.com

राजकीय प्राथमिक / उच्च प्राथमिक / माध्यमिक / उच्च माध्यमिक विद्यालय ....

....

विद्यालय का नाम लिखे - मुख्यालय का नाम लिखे -

शाला प्रबंधन समिति ....जिला कोटा (राजस्थान) पंचायत समिति ....

स्थान व जिले का नाग लिखे

विधान - (नियमावली)

1 **समिति का नाम** - इस समिति का नाम विद्यालय शाला प्रबंधन (SMC) समिति होगा।

2 **पंजीकृत कार्यालय एवं कार्य क्षेत्र** - इस समिति का पंजीकृत कार्यालय राजकीय माध्यमिक विद्यालय / राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय .... में स्थापित होगा।

विद्यालय का पूरा नाम लिखे -

समिति का कार्य क्षेत्र समिति के पंजीकृत कार्यालय स्थित विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों के निवास स्थानों तक रहेगा। परन्तु विकास कार्य केवल विद्यालय परिसर एवं विद्यालय से संवंधित खेल मैदान में ही कराये जा सकेंगे।

3. **समिति के उद्देश्य** निम्नानुसार होगें -

1) संबंधित विद्यालय के लिए एक विकास कोष बनाना जिससे विद्यालय के भवन उपस्कर एवं अन्य शैक्षणिक सुविधांओ से संबंधित विकास के कार्य किए जा सकें।

2) संबंधित विद्यालय के लिए एक परिचालन (Operational) कोष बनाना जिससे राजकीय सहायता व अन्य माध्यमों से वेतन, परिचालन व मरम्मत व्यय रहन किया जा सकें।

3) विद्यालय में पढ़ रहे विद्यार्थियो के अभिभावकों सामान्य जनता एवं अन्य दान दाताओं से फीस / दान प्राप्त करना।

4) विद्यालय भवन के विस्तार एवं अन्य सुविधाओं के लिए राज्य सरकार की जन-भागिता आधारित योजनाओं से संस्था विकास कोष के योगदान के आधार पर विकास कार्य करवाना।

5) अन्य संपूर्ण उद्देश्य जिससे संस्था की परि-सम्पतियों का वेहतर उपयोग हो सकें।

<u>उक्त उद्देश्यो की पूर्ति में कोई लाभ नही है।</u>

4 **सदस्य-विद्यालय में अध्ययन करने वाले बच्चो के माता-पिता / संरक्षक तीनो मे से किसी एक को सदस्य बनाया जाएगा।**

5. **साधारण सभा** - समिति के उक्त नियम संख्या 4 में वर्णित समस्त प्रकार के सदस्य मिलकर साधारण सभा का निर्माण करेंगे। समिति की कार्यकारणी सभा का, अध्यक्ष , उपाध्यक्ष व सदस्य सचिव साधारण सभा के लिए भी अध्यक्ष उपाध्यक्ष, व सदस्य सचिव का कार्य करेंगे।

6. **सदस्यों का वर्गीकरण** समिति के सभी सदस्य साधारण सदस्य होगें।

अध्यक्ष उपाध्यक्ष सचिव

www.rajteachers.com

7\. **सदस्यों द्वारा चंदा व शुल्क** — साधारण सभा व सदस्यों के द्वारा कोई शुल्क व चंदा प्रारम्भ में अनिवार्य नहीं होगा। सदस्य स्वेइच्छा से चंदा दे सकेंगे। समिति की साधारण सभा का दो तिहाई बहुमत वार्षिक सदस्यता शुल्क तय कर सकेगी।

8\. **सदस्यता की समाप्ती** साधारण सभा के सदस्यों की सदस्यता निम्नलिखित कारणो से स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।

1. सदस्य की मृत्यु होने पर।
2. त्याग पत्र देने पर।
3. निर्वाचित सदस्यों के निर्वाचित नहीं रहने पर।
4. विद्यार्थी के विद्यालय छोड़ने पर उसके माता पिता की सदस्यता स्वतः समाप्त हो जायेगी।
5. पदेन सदस्यों के पद नही रहने पर।

9\. साधारण सभा के अधिकार एवं कर्त्तव्य –

1. विद्यालय के परिचालन व्यय मद में आय–व्यय में अन्तर होने पर संरक्षकों, सामान्य जनता एवं दानदाताओं से आर्थिक सहायता/दान प्राप्त करने हेतु कार्यकारणी समिति द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार–विमर्श एवं निर्णय।
2. विद्यालय के विकास हेतु आवश्यक विकास राशि के एकत्रित करने पर विचार–विर्मश एवं निर्णय।
3. कार्यकारणी समिति द्वारा किये गये कार्यो की समीक्षा करना।

नोट — साधारण सभा में निर्णय प्रथमतः **सर्वसम्पत्ति से नही होने पर बहुमत से लिये जावेगें।**

10\. साधारण सभा की बैठक

1) साधारण सभा की वर्ष मे एक बैठक अनिवार्य होगी लेकिन आवश्यकता पडने पर विशेष सभा अध्यक्ष/सदस्य सचिव द्वारा कभी भी बैठक बुलाई जा सकेगी।

2) साधारण सभा की बैठक का कोरम कम से कम 50 होगा। लेकिन जहां छात्रो की संख्या कम है वहां कार्यकारिणी के सदस्यो की संख्या से 5 अधिक सदस्यो का कोरम रखा जावें।

3) बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व व अत्यावश्यक बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व दो जायेगी।

4) कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जावेगी जो पुनः 7 दिन पश्चात् समान निर्धारित स्थान व समय पर आयोजित की जायेगी। स्थगित बैठक मे कोरम की कोई आवश्यकता नही होगी लेकिन विचारणीय विषय वही होगें जो पूर्व एजेन्डा मे थे।

5) समिति के 1/3 अथवा 16 सदस्य इनमें से जो भी कम हो, के लिखित आवेदन करने पर सदस्य सचिव/अध्यक्ष द्वारा एक माह के अन्दर अन्दर बैठक आहूत करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में अध्यक्ष/सदस्य सचिव द्वारा बैठक न बुलाये जाने पर उक्त 16 सदस्यों में से कोई भी 3 सदस्य नोटिस जारी कर सकेगें तथा इस प्रकार की बैठक में होने वाले समस्त निर्णय वैधानिक व सर्वमान्य होगें।

11\. **कार्यकारिणी समिति का गठन** (1)कार्यकारिणी के गठन करने से पूर्व शाला प्रधान को बच्चो के माता/पिता/संरक्षक जो समिति के सदस्य बने है उनमे से 13 सदस्यो का कार्यकारिणी के लिए निर्वाचन करना होगा। निर्वाचित 13 सदस्यो मे से 6 सदस्य महिलाए होना अनिवार्य है।निर्वाचित महिलाओ मे यदि एस.सी/एस.टी. के बालक बालिकाए अध्ययनरत हो तो एक एस.सी की महिला एवं एक एस.टी. महिलाए निर्वाचित होगी।

(2)सदस्य बनने के लिए बालिक हो एवं भारतीय नागरिक हो

(3)पागल / दिवालिया न हो

(4) संस्था के उद्धेश्यो मे रूची व आस्था रखता हो।

(5)संस्था के हित को सर्वोपरी समझता हो

समिति के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए समिति की एक कार्यकारिणी समिति होगी जिसकी पदाधिकारी एवं सदस्य निम्न प्रकार होगें। कार्यकारिणी के सदस्यो की संख्या 16 होगी।

क्र0सं0	पद	चयन प्रक्रिया
1	अध्यक्ष	समिति की साधरण सभा द्वारा माता–पिता या संरक्षक सदस्यों में से कार्यकारिणी समिति हेतु निर्वाचित 11 सदस्यों में से कार्यकारिणी समिति के सदस्यों द्वारा निर्वाचित।
2	उपाध्यक्ष	समिति की साधारण सभा द्वारा माता–पिता संरक्षक सदस्यों में से कार्यकारिणी समिति हेतु निर्वाचित 11 सदस्यों में से कार्यकारिणी समिति के सदस्यों द्वारा निर्वाचित।
3	सदस्य (9)	साधारण सभा द्वारा माता–पिता या संरक्षक सदस्यों में से कार्यकारिणी समिति हेतु निर्वाचित शेष 9 सदस्य, जिनमें से कम से कम 6 महिलाएं, 1 अनु. जाति व 1 अनु. जन जाति से संबंधित हो।
4	पदेन सदस्य (1)	ग्राम पंचायत/नगर पालिका के जिस वार्ड में स्थित है उसका पंच/पार्षद ।
5	पदेन सदस्य सचिव(1)	प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापक के नहीं होने पर वरिष्ठतम अध्यापक/प्रबोधक।
6	निर्वाचित अध्यापक	विद्यालय के अध्यापकों में से एक अन्य महिला अध्यापक/प्रबोधक उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में पुरूष अधयापक/प्रबोधक
7	मनोनीत सदस्य (2)	समिति के सदस्यों द्वारा मनोनीत स्थानीय शिक्षा विद् या विद्यालय के प्रतिभावान छात्र।

अध्यक्ष उपाध्यक्ष सचिव

www.rajteachers.com

12. **कार्यकारिणी समिति का कार्यकाल –**

कार्यकारिणी के निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष रहेगा।

13 **समिति की कार्यकारिणी समिति के निम्नलिखित अधिकार व कर्तव्य होगें –**

1) विकास कोष से कराये जाने वाले विकास कार्यो का निर्णय करना, लागत अनुमोदित करना, कराये जाने वाले कार्यो की प्रक्रिया निर्धारित करना व भुगतान को अधिकृत करना।

2) परिचालन मद में आय व व्यय का जायजा लेना व कुल भार विशेष मद में आय वांछनीय व्यय कम होने पर विद्यार्थियो से फीस वसूल करने पर विचार कर फीस की दरों के प्रस्ताव साधारण सभा को अनुमोदनार्थ प्रेषित करना।

3) वार्षिक बजट पारित करना।

4) समिति की सम्पति की सुरक्षा करना।

5) साधारण सभा द्वारा पारित निर्णयो को क्रियान्वित करना।

6) अन्य कार्य जो समिति के हितार्थ हो करना।

14. **कार्यकारिणी समिति की बैठक –**

1) कार्यकारिणी समिति की वर्ष में कम से कम 4 बैठके होगी लेकिन आवश्यकता होने पर बैठक अध्यक्ष द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी।
2) जिला शिक्षा अधिकारी को किसी भी समय बैठक बुलाने के निर्देश देने का अधिकार होगा जिसकी अनुपालना अध्यक्ष द्वारा एक सप्ताह में करना अनिवार्य होगा।
3) बैठक का कोरम कार्यकारिणी समिति की कुल संख्या के आधे से अधिक होगा परन्तु ऐसी किसी बैठक जिसमें 50,000 रूपये से अधिक के व्यय का प्रस्ताव विचाराधीन हो तो उसमें अभिभावकों के प्रतिनिधि मनोनीत जन प्रतिनिधि उपखण्ड अधिकारी का प्रतिनिधि व छात्र प्रतिनिधि सदस्यों की कुल संख्या के आधे सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी।
4) बैठक की सूचना प्रायः 7 दिन पूर्व दी जावेगी तथा अत्यावश्यक बैठक कम से कम समय तीन दिन की सूचना पर बुलाई जा सकेगी।
5) बैठक में निर्णय यथा संभव सर्वसम्मति से व सर्वसम्मति से न होने पर निर्णय बहुमत से होगा।

15. **कार्यकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्त्तव्य –**

1) अध्यक्ष
1. बैठकों की अध्यक्षता करना।
2. मत बराबर आने पर निर्णायक मत देना।
3. बैठकें आहूत करना।
4. समिति का प्रतिनिधित्व करना।
5. संविदा तथा अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना।
6. आय व्यय पर नियंत्रण करना व कैशियर के माध्यम से लेखे संधारित करना।

(2) उपाध्यक्ष– अध्यक्ष की अनुपस्थिति मे कार्यकरना

3) सदस्य सचिव –
1. बैठक आहूत करने की सूचना जारी करना।
2. कार्यवाही लिखना तथा रिकार्ड रखना।
3. अधिकृत मामलो में समिति का प्रतिनिधित्व करना व कानूनी दस्तावेजो पर समिति की ओर से हस्ताक्षर करना।

16. **समिति का कोष :–** समिति द्वारा विकास कोष एवं परिचालन कोष अलग–अलग निम्न प्रकार से संचित किये जाऐगे।

A विकास कोष –
1. राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विकास योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त कोष।
2. अभिभावकों एवं नागरिको द्वारा प्राप्त विकास कोष अनुदान/सहायता।
3. राज्य सरकार/स्थानीय अधिकारी/संस्था/निकाय अथवा अन्य किसी अनुदान से प्राप्त आय।

अध्यक्ष **उपाध्यक्ष** **सचिव**

www.rajteachers.com

4. यदि विकास कोष में योगदान सामग्री के रूप में प्राप्त होता है तो उसके अनुमानित मुल्य के हिसाब से लेखों में लिखा जावेगा तथा सामग्री की एन्ट्री स्टोक रजिस्ट्रर में की जावेगी।

A विकास कोष –

1. संकलन
2. अन्य अनुमानित प्राप्तियां

17. **कोष संबंधित अधिकार** – संस्था के हित में समस्त परिचालन सदस्य सचिव व अध्यक्ष द्वारा संयुक्त रूप से किया जावेगा। जिसका अनुमोदन विद्यालय प्रबंधन समिति से करवाया जाना आवश्यक होगा।

18. **समिति का अंकेक्षण** :

समिति के समस्त लेखा जोखा का वार्षिक अंकेक्षण चार्टड लेखाकार से कराया जावेगा।

19. **समिति के विधान मे परिवर्तन** –

समिति के विधान मे आवश्यकतानुसार राज्य सरकार के निर्देशानुसार साधारण सभा के कुल उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से या कार्यकारिणी के परिवर्तन के प्रस्ताव पर दो तिहाई बहुमत व राज्य सरकार की पूर्वानुमति से परिवर्तन अथवा संशोधन किया जा सकेगा व राजस्थान रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 की धारा 12 के अनुरूप होगा।

20. **समिति का विघटन** –

यदि समिति का विघटन आवश्यक हुआ तो समिति की समस्त चल व अचल सम्पति समान उद्देश्य वाली समिति को हस्तान्तरित कर दी जावेगी लेकिन उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 की धारा 13 व 14 के अनुरूप होगी। विकास कोष समिति को विद्यालय की चल व अचल सम्पति को बेचने रहन रखने तथा अन्यथा खुर्द–बुर्द करने का अधिकार नही होगा।

21. **संस्था के लेखे-जोखे का निरीक्षण** –

रजिस्ट्रार संस्थाएं कोटा.. जो समिति के रिकार्ड का निरीक्षण करने का पूर्ण अधिकार होगा व उनके द्वारा दिए गए सुझावों की पूर्ति की जावेगी।

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त विधान (नियमावली) .... समिति/सोसायटी/संस्था की सही व सच्ची प्रतिलिपि है।

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त विधान (नियमावली).. समिति/संस्था की सही व सत्य प्रति है।

अध्यक्ष **उपाध्यक्ष** **सचिव**

www.rajteachers.com

शपथ पत्र
(50 रूपये के स्टाम्प पर)

हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता अधिकृत पदाधिकारी संस्था...के शपथ पूर्वक घोषणा करते है कि –

हमारी प्रस्तावित संस्था ....के पंजियन हेतु कुल ....आवेदक सदस्य है।

हमारी प्रस्तावित संस्था .... के नाम पते पर पूर्व मे इस क्षेत्र मे कोई संस्था पंजिकत नहीं है। आवेदक सदस्य अन्य किसी समान उद्धेश्य वाली संस्था/समिति के सदस्य/पदाधिकारी नहीं है ।

प्रस्तावित संस्था की विधान नियमावली की बिन्दु संख्या 2 व 3 के अन्तर्गत अपने कार्य क्षेत्र मे निहित उद्धश्येा की पूर्ती हेतु गठित की गई है।

धारा 3 मे वर्णित उद्धेश्य संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 की धारा 20 के अन्तर्गत आते है, के अनुसार संस्था की कार्यकारिणी एवं पंजिकृत उद्धेश्यो की पूर्ति मे किसी प्रकार का लाभ निहित नहीं होगा।

प्रस्तावित संस्था द्वारा कोई व्यवसायिक गतिविधिया,व्यक्तिगत लाभ अर्जित करने हेतु न तो गठित ही की गई है ओर नहीं किसी प्रकार का लाभ सदस्यो मे वितरण होगा।

प्रस्तावित संस्था किसी भी परिस्थिति मे व्यावसायिक रूप से कार्य नहीं करेगी तथा न ही इसमे किसी प्रस्तावक सदस्य का निजि व्यक्तिगत लाभ निहित होगा।

यदि भविष्य में किसी भी समय इस तथ्य की अवहेलना होना पाया जाएगा तो रजिस्टार संस्थाए कोटा को पंजिकत संस्था का पंजियन रद्ध करने का अधिकार होगा।

भविष्य मे उक्त बिन्दु 1 से 7 में अंकित तथ्यो के विपरीत कार्य करने की जानकारी प्रकाश मे आने पर रजिस्टार संस्था कोटा को इस संस्था का पंजियन रद्ध करने का अधिकार होगा।

अध्यक्ष उपाध्यक्ष सचिव

सत्यापन

हम उपरोक्त शपथ ग्रहिता सत्यापित करते है कि बिन्दु संख्या 1 से 8 तक के तथ्य हमारी जानकारी से सही है कोइ भी तथ्य छिपाया नही गया । उपरोक्त तथ्यो के विपरीत कोई जानकारी प्रकाश मे आने पर रजिस्टार संस्थाए कोटा को पंजियन रद्ध करने का अधिकार होगा ।ईश्वर साक्षी है।

अध्यक्ष उपाध्यक्ष सचिव

सत्यापित

जिला शिक्षा अधिकारी/अति0जि0शि0अ0/ब्लॉक शि0अ0/अति0 ब्लॉक शि0अ0

www.rajteachers.com